न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00104

1. नन्दसिंह आयु 67 वर्ष आत्मज श्री रामनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डेरोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. गोपाल सिंह आयु 63 वर्ष आत्मज श्री रामनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डेरोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रिसिंपल सकेट्री रेवेन्यू विभाग राजस्थान सरकार जयपुर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. श्री बाल कंवर आयु 70 वर्ष धर्मपत्नी श्री गोरधन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भारजी का खेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   3/1. गोरधन सिंह आत्मज देवी सिंह
   3/2. भंवर सिंह आत्मज गोरधन सिंह
   3/3. शंकर सिंह आत्मज गोरधन सिंह
   3/4. दरयाब बाई पुत्री गोरधन सिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम भारजी का खेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 02.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण के दादा स्वर्गीय धूल सिंह आत्मज श्री गोविन्द सिंह ग्राम डरोली तहसील हिण्डोली के जागीरदार थे जिनकी खुदकाश्त में ग्राम डेरौली व अन्य ग्रामों में कृषि भूमियॉ थी । श्री धूल सिंह जी का सम्वत् 2013 में स्वर्गवास हो गया । वादीगण के पिता रामनाथ सिंह संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता होने के कारण श्री धूल सिंह जी की मृत्यु के बाद जागीर की समस्त कृषि भूमियों का दाखिल खारिज जिनमें ग्राम डेरौली की 23 किता की 898 बीघा 04 बिस्वा भूमि सम्मिलित थी, वादीगण के पिता के नाम दर्ज थी । वादीगण की जानकारी में आया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के चेप्टर –iii बी के दिनांक 15.12.1963 से प्रभावशील होने की तिथि के बाद उपखण्ड अधिकारी नैनवा द्वारा स्वर्गीय रामनाथ सिंह को सीलिंग नियम 1963 के नियम 11 के अन्तर्गत उनकी भूमियों का विवरण पेश करने के सम्बन्ध में नोटिस दिया गया । स्व0 रामनाथ सिंह ने डिक्लेरेशन प्रस्तुत किया जिसमें स्वर्गीय रामनाथ सिंह जी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उनके द्वारा धारित कृषि भूमियॉ पैतृक थी जिनमें प्रार्थीगण जो वयस्क थे बराबर का हिस्सा था । स्व0 रामनाथ सिंह जी द्वारा धारित भूमियों का सीलिंग एरिया निर्धारित करते समय वादीगण के हिस्से की भूमि को पृथक छोडा जाकर सीलिंग एरिया निर्धारित किया जाना चाहिए था किन्तु वादीगण को जानकारी हुई कि उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 21.05.75 व 24.07.1976 द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णयों दिनांक 27.08.1975 एवं 22.09.1976 एवं माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 03.07.1978 के द्वारा वादीगण को पक्षकार बनाये बिना तथा वादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना स्वर्गीय रामनाथ सिंह जी द्वारा धारित समस्त भूमियों को उनकी अकेले की खातेदारी की भूमियॉ करार देते हुए तथा वादीगण के हिस्से व कब्जे की भूमियों को उनकी भूमियों के साथ अनुचित तौर पर क्लब करके उनहें कुल 48 एकड भूमि रखने का अधिकारी मानते हुए 308 एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होना कराकर देकर उक्त अधिग्रहण किये जाने के आदेश पारित किये हैं । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.1978 के निर्णय के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.04.1996 के द्वारा खारिज कर दिया गया । उक्त समस्त निर्णयों में वादीगण पक्षकार नहीं थे इसलिए उक्त निर्णय वादीगण के विरूद्ध शून्य एवं निष्प्रभावी हैं । वादीगण ग्राम डरौली के कुल 17 किता की 133 बीघा 07 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 371/385 की भूमियों को पृथक तौर पर काश्त करते चले आ रहे हैं । इसके अलावा वादीगण अन्य भूमियों पर भी काबिज काश्त हैं । प्रतिवादीगण वादीगण को उनके कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने की धमकी देते हैं ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की मद संख्या 02 में वर्णित भूमियों में से 2/3 हिस्से की भूमि के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा स्वर्गीय रामनाथ सिंह केवल 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे तथा वादीगण के हिस्से व कब्जे की भूमि रामनाथ सिंह जी के विरूद्ध निर्णित सीलिंग प्रकरण में अधिग्रहण किये जाने योग्य नहीं है । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें उक्त भूमि से वादी

को बेदखल नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 01 व 02 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है । रेस्पोडेन्ट कम 3/1 लगायत 3/4 की ओर से वादपत्र के तथ्यों को स्वीकार किये जाने एवं वादी डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रतिवाद पत्र में कथन किया था इसके बावजूद भी वादी का वाद खारिज कर दिया । सीलिंग प्रकरण में वादीगण पक्षकार नहीं थे । ऐसी स्थिति में सीलिंग प्रकरण में पारित निर्णय रेसजूडीकेटा का प्रभाव नहीं रखते हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दिनांक 29.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के खिलाफ एक दावा पेश किया था और यह कथन किया था कि वादीगण के दादा धूलसिंह जी के खुदकाश्त मी आराजी ग्राम डेरौली तहसील हिण्डोली में स्थित है । धूल सिंह जी का संवत् 2013 में देहान्त हो चुका है । रामनाथ सिंह, मांगीसिंह, सोभाग्य सिंह, शिवराज सिंह, लाडकंवर, स्वरूप कंवर पुत्रियॉ और भंवर बाई पत्नी धूलसिंह थे । वादीगण के पिता रमानाथ सिंह जी संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता होने के कारण धूलसिंह की मृत्यु के बाद समस्त आराजी का दाखिल खारिज अपने नाम करवाया । श्री रामनाथ सिंह जी के विरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही चली जिसमें रामनाथ जी ने स्पष्टरूप से यह लिखा गया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है । वादीगण तत्समय व्यस्क थे और आराजी में उनका बराबर का हिस्सा था । पैतृक कोपार्शनरी की सम्पत्ति थी । अतः रामनाथ सिंह जी के द्वारा धारित की जाने वाली भूमि को निर्धारित करते समय वादीगण के हिस्से की भूमि को पृथक छोडा जाना चाहिए था परन्तु उपखण्ड अधिकारी, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा और माननीय राजस्व मण्डल द्वारा वादीगण को पक्षकार बनाये बिना वादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना रामनाथ जी के द्वारा धारित समस्त आराजियात को उनके अकेले की मानकर 308 एकड भूमि सीलिंग में सरप्लस घोषित की गई और उसका अधिग्रहण करने का आदेश पारित किया है । वादीगण इसमें पक्षकार नहीं थे इस कारण वादीगण इस निर्णय से पाबन्द नहीं हैं । रामनाथ सिंह जी के द्वारा जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश की गई थी वो भी दिनांक 23.04.1996 को निरस्त की जा चुकी है । वादीगण वादग्रस्त आराजी को पृथक तौर पर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादीगण को धारा 91 के नोटिस भी तहसीलदार के द्वारा दिये जाते

हैं । प्रतिवादी वादी को बेदखल करने की धमकी देते हैं । वादीगण को उनके पिता के खिलाफ जो सीलिंग कार्यवाही चली उसकी कोई जानकारी नहीं थी । इस कारण वादीगण ने परीक्षण न्यायालय में हक घोषणा का दावा पेश किया । परीक्षण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से दावा वादी खारिज किया है । वादीगण की ओर से खातेदारी घोषणा का दावा पेश करने में कोई कानूनी अडचन नहीं है । सीलिंग की कार्यवाही में वादीगण पक्षकार नहीं थे इस कारण वो वादीगण के विरूद्ध रेसजूडीकेटा का प्रभाव नहीं रखता है । वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादीगण का जन्म से हित–निहित है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1980 पेज 93, आरआरडी 1991 पेज 397, आरआरडी 1986 पेज 489, आरआरडी 1989 पेज 227 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्टगण रामनाथ सिंह के वारिस हैं और रामनाथ सिंह जी के खिलाफ सीलिंग कार्यवाही में वादग्रस्त आराजी सीलिंग सिवायचक सरकार दर्ज की गई थी । उपखण्ड अधिकारी का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय तक बहाल रखा है । अपीलान्टगण सीलिंग प्रक्रिया में पक्षकार बन सकते थे उनके द्वारा पृथक से सिवायचक आराजी के लिए हक घोषणा का दावा पेश नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में वादीगण द्वारा हक घोषणा का दावा पेश किया गया है। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 के अनुसार रामसिंह के खाते में कुल 56 किता की 958 बीघा 13 बिस्वा आराजी दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2038–41 के अनुसार रामनाथ सिंह के 19 किता की 149 बीघा 17 बिस्वा खाते में दर्ज है । महकमा बन्दोबस्त की पानडी की फोटो प्रति भी पेश की गई है इसके अलाव प्रदर्श– 3 नकल जमाबन्दी संवत् 2024–36 पेश की है । प्रदर्श–4 नकल जमाबन्दी संवत् 2063–66 संलग्न है जिसके अनुसार नन्दसिंह, गोपाल सिंह एवं अन्य के खाते में 17 किता की 133 बीघा 07 बिस्वा आराजी दर्ज है । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.04.1996 की नकल भी पेश की गई है जिसके अनुसार रामनाथ सिंह की सीलिंग के खिलाफ पेश की गई रिट याचिका खारिज की गई है । बयान वादी नन्दसिंह करवाये गये हैं ।

11. इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उसके अनुसार रामनाथ सिंह के खिलाफ सीलिंग की कार्यवाही चली थी जिसमें उनके खाते की आराजी 308 एकड सीलिंग सरप्लस घोषित की गई थी । इस निर्णय के खिलाफ पेश की गई प्रथम एवं द्वितीय अपील इस न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा खारिज की गई और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी रिट याचिका सन् 1996 में खारिज की जा चुकी है । अब वादीगण का यह कथन है कि चूँकि वादग्रस्त आराजी पैतृक थी इस कारण उसमें जन्म से ही उनका हित–निहित था और सम्पूर्ण आराजी रामनाथ जी की मानी जाकर सीलिंग कार्यवाही की गई है, इस कारण वादग्रस्त आराजी जो कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी सिवायचक है के बाबत् हक घोषणा का दावा पेश किया है परन्तु जब तक वादीगण रामनाथ के खिलाफ की

गई सीलिंग की कार्यवाही को चैलेंज नहीं करते हैं तब तक सरकारी सिवाय चक आराजी के लिए उनका हक घोषणा का दावा चलने योग्य नहीं है । रामनाथ सिंह के खिलाफ चली सीलिंग की कार्यवाही में जो आराजी सरप्लस घोषित की गई है वह त्रुटिपूर्ण है, इसका निर्धारण इस हक घोषणा के दावे में नहीं किया जा सकता । सीलिंग की कार्यवाही में माननीय उच्च न्यायालय तक उपखण्ड अधिकारी का निर्णय बहाल रखा है । ऐसा निर्णय जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बहाल रखा जाकर रिट याचिका तक खारिज की गई है उसको वादीगण के इस नये दावे के आधार पर निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता । तद्नुसार अपीलान्ट के द्वारा पेश की गई नजीरें इस प्ररकण में चस्पा नहीं होती हैं । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 02.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

2/8/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2020/00104

1. नन्दसिंह आयु 67 वर्ष आत्मज श्री रामनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डेरोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. गोपाल सिंह आयु 63 वर्ष आत्मज श्री रामनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डेरोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रिसिंपल सक्रेट्री रेवेन्यू विभाग राजस्थान सरकार जयपुर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. श्री बाल कंवर आयु 70 वर्ष धर्मपत्नी श्री गोरधन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भारजी का खेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   3/1. गोरधन सिंह आत्मज देवी सिंह
   3/2. भंवर सिंह आत्मज गोरधन सिंह
   3/3. शंकर सिंह आत्मज गोरधन सिंह
   3/4. दरयाब बाई पुत्री गोरधन सिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम भारजी का खेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 14/दावा/2011

1. नन्दसिंह आयु 67 वर्ष आत्मज श्री रामनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डेरोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. गोपाल सिंह आयु 63 वर्ष आत्मज श्री रामनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डेरोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रिसिंपल सकेट्री रेवेन्यू विभाग राजस्थान सरकार जयपुर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. श्री बाल कंवर आयु 70 वर्ष धर्मपत्नी श्री गोरधन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भारजी का खेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

3/1. गोरधन सिंह आत्मज देवी सिंह
3/2. भंवर सिंह आत्मज गोरधन सिंह
3/3. शंकर सिंह आत्मज गोरधन सिंह
3/4. दरयाब बाई पुत्री गोरधन सिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम भारजी का खेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 02.08.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से श्री कैलाश गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 02.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

2/8/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा